



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 फाल्गुन 1937 (श10)

(सं0 पटना 163) पटना, सोमवार, 22 फरवरी 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

10 फरवरी 2016

एस0ओ0 41, दिनांक 22 फरवरी 2016—औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अन्तर्गत निम्न तथा मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों के लिए स्वअभिप्रमाणन की अनुमति देने की व्यवस्था निरूपित करने/अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था के पुर्नस्थापन/पुर्नविचारण के प्रयोजनार्थ निम्न मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है:—

1. संलग्न परिशिष्ट—“क” के अनुसार सभी कारखानों के लिए 14 बिन्दुओं पर भारत औसत के आधार पर जोखिम का वर्गीकरण निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी में किया जायेगा।

2. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारखानों/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठानों को उच्च/निम्न/मध्यम जोखिम में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:—

(i) उच्च जोखिम के कारखाने / औद्योगिक स्थापना / दुकान / प्रतिष्ठान—

(क) वैसे कारखाने जिनमें विगत कैलेण्डर वर्ष में सांघातिक दुर्घटना हुई हो।

(ख) वैसे कारखाने/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जिनमें वेतन भुगतान, कम मजदूरी भुगतान या बाल श्रम नियोजन के लिए विगत कैलेण्डर वर्ष में अभियोजन दायर किया गया हो।

(ग) वैसे कारखाने/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जहाँ 150 या अधिक कामगार नियोजित होते हों।

(घ) वैसे कारखाने/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जिसमें 50% से अधिक कामगार ठेका श्रमिक हो या 50% से अधिक महिला कर्मकार नियोजित होती हों।

(ङ) वैसे कारखाने/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जहाँ विगत कैलेण्डर वर्ष में हड़ताल या तालाबन्दी की घटना हुई हो।

(ii) निम्न जोखिम के कारखाने/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान—

(क) वैसे कारखाने/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जहाँ विगत पाँच कैलेण्डर वर्ष में कोई हड़ताल/तालाबन्दी नहीं हुई हो।

(ख) वैसे दुकान/प्रतिष्ठान जिसमें 10 से कम कर्मचारी नियोजित हों।

(ग) वैसे कारखाने / औद्योगिक स्थापना / दुकान / प्रतिष्ठान जिसके विरुद्ध विगत पाँच कैलेण्डर वर्ष में कोई अभियोजन दायर नहीं किया गया हो।

(iii) वैसे प्रतिष्ठान जो उपर्युक्त कंडिका—(i) तथा (ii) से अच्छादित नहीं हैं, को मध्यम श्रेणी के जोखिम वाला कारखाने / औद्योगिक स्थापना / दुकान / प्रतिष्ठान माना जायेगा।

(iv) वैसे कारखाने / औद्योगिक स्थापना / दुकान / प्रतिष्ठान जो सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के बेबसाईट पर अपलोड नहीं करेंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

(v) यदि परिशिष्ट—क के अनुसार वर्गीकरण एवं कंडिका 02 के अनुसार वर्गीकरण में भिन्नता हो तो दोनों में से उच्चतर जोखिम वाले वर्ग में संबंधित उद्योग / स्थापना को माना जायेगा।

(सं० 1/एफ01-103/2016 श्र.सं.-526)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 163-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>